B-34
L-52
Polity

स्थानीय स्तर पर शक्ति एवं वित्त का विकेन्द्रीकरण

73 वाँ संविधान संशोधन

- त्रिस्तरात्मक पंचायत
- (i) शक्ति का विकेन्द्रीकरण
  (ii) 29 विषय प्रदान किये गए।
- राज्य निर्वाचन आयोग
- राज्य वित्त आयोग
- आरक्षण का प्रावधान

पंचायती राज प्रशासनिक अभिकरण या स्वशासन :-

- पंचायती राज के द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया गया जिसमें ग्रामसभा के माध्यम से आधारभूत लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा ग्रामसभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का माध्यम है क्योंकि ग्राम सभा का गांव के स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण होगा और गांव का विकास स्वयं ग्रामीण करेंगे।
- पंचायतों के माध्यम से 29 विषय प्रशासन के लिए सौंपा गया है जिनमें -

(i) कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कल्याण के विषय।

(ii) कुटीर उद्योग लघु उद्योग

(iii) ग्रामीण विकास के लिए सड़क, प्रकाश और जल निकासी की व्यवस्था।

KGS IAS

- पंचायतों के लागू होने के पहले गांव के प्रशासन का दायित्व पूर्णतः प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में था। वर्ष 1969 में गरीबी निवारण के लिए जनपद ग्रामीण विकास एजेन्सी (DRDA) का निर्माण किया गया जो गरीबी निवारण के लिए सफल नहीं हो पायी। इसीलिए पंचायती राज के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु जनपद नियोजन समिति का प्रावधान किया गया (DPC) जिसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्रामीण विकास की नींव रखी जायेगी।

पंचायतें संघ और राज्य के द्वारा निर्मित विधि और योजनाओं को क्रियान्वित करने की एजेन्सी मात्र नहीं हैं अपितु इसका मूल उद्देश्य यह है कि गांव को स्वशासन का केन्द्र बनाया जाए और ग्रामीण जनता यह निर्धारित करेगी की गांव की विकास की योजनाएं किस प्रकार होनी चाहिए।

चुनावी उपकरण अथवा प्रशासनिक तंत्र

- भारत जैसे विशाल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व केवल 5 हजार सांसद और विधायक नहीं कर सकते और पंचायती राज के द्वारा लगभग तीस लाख जनप्रतिनिधियों को शासन में सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ।

- पंचायतों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में संवैधानिक संस्था का निर्माण भी हुआ।

- पंचायतों के निर्वाचन के द्वारा भारत में दल विहीन लोकतंत्र के निर्माण का प्रयास किया गया क्योंकि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी की अनुमति नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक शासन में स्थानीय व्यक्ति शासन सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ायेंगे।

- लोकतंत्र में निर्वाचन साधन होता है साध्य नहीं इसलिए पंचायतों का उद्देश्य निर्वाचन कराना मात्र नहीं है अपितु प्रशासन में जन सहभागिता को बढ़ाना है।

- पंचायती राज के द्वारा प्रशासन के स्वरूप में निम्नलिखित बदलाव किया गया है-

(i) प्रशासन को जन सहभागी बनाया गया है।
(ii) प्रशासन में पारदर्शिता का निर्माण किया गया है।
(iii) प्रशासन ज्यादा उत्तरदायी बन गया है क्योंकि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनसहभागिता में वृद्धि हुई है।
(iv) प्रशासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है और वह अनुनयात्मक और परिणाम उन्मुखी हो रहा है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- इसीलिए यह कहा जाता है कि पंचायती राज के द्वारा सुशासन को बढ़ावा दिया गया है और ग्रामसभा ही प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना के लाभार्थियों का चयन करती है जिससे शासन का प्रभावी विकेन्द्रीकरण हुआ है।

वित्त का विकेन्द्रीकरण

- 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है जो वित्त आयोग की भांति एक संवैधानिक संस्था है।
- पंचायतों को प्राप्त शक्तियाँ राज्यों की भाँति नही है क्योंकि -

(i) राज्यों को सातवीं अनुसूची में उल्लेखित राज्यसूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार होता है लेकिन पंचायतों का केवल योजना निर्माण एवं ग्रामीण विकास की शक्ति दी गई है उन्हें विधि निर्माण की कोई शक्ति नही है।

(ii) सभी राज्यों को राज्यसूची के विषयों के प्रशासन की भी शक्ति है जो उन्हें स्वभाविक रूप में प्राप्त होता है लेकिन पंचायतों को प्राप्त 29 विषय (243 G) स्वभाविक रूप में पंचायतों को प्राप्त नही होते अपितु राज्य विधानमण्डल के द्वारा

प्रदान किए जाते हैं और पंचायतों का प्रशासनिक अधिकारियों पर भी नियंत्रण नहीं होता।

- राज्य विधानमण्डल को राज्यसूची के विषयों पर कर आरोपित करने की शक्ति भी है जबकि पंचायतों के लिए स्वतंत्र रूप में कर आरोपित करने की शक्ति भी नहीं है इसलिए पंचायतें विधानमण्डल की अनुमति के बाद ही करारोपण कर सकती हैं।

- पंचायतों की इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण अधीनस्थता का विचार भी कहा गया।

पंचायतों के लिए वित्त और प्रशासन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वित्तीय स्वायत्तता है जिसे प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं।

(i) 13वें वित्त आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि जो राज्य पंचायतों को प्रभावी शक्ति प्रदान कर रहे हैं उन्हें एक विशेष निष्पादन अनुदान प्राप्त होना चाहिए जो अन्य राज्यों से पृथक हों

(ii) सांसद स्थानीय विकास निधि को समाप्त करके इसका पैसा पंचायतों को प्रदान किया जाए क्योंकि सांसद विकास निधि जिन 23 विषयों पर खर्च की जाती है वे सभी 29 विषयों में शामिल हैं जो पंचायतों के भाग

(iii) उपारीकरण के दौर में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन (NGO) के द्वारा खर्च किया गया पैसा पंचायतों के माध्यम से होना चाहिए।

(iv) पंचायतों के वित्तीय स्त्रोत फिलहाल राज्य सरकारों पर ही निर्भर है लेकिन पंचायतों के विकास के लिए प्राइवेट फंडिंग को बढ़ावा दिया जाए कार्पोरेट सोशल Responsibility के माध्यम से संभव है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR